समस्त पत्र-व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,25275320
तार : यूनिवर्सिटि
फेक्स : 0731 2529540

# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन
इंदौर 252001

क्रमांक.संविक / रैगिंगरोकथाम मासिकरिपोर्ट / (31) / 2014–15 / 161 18 JUN 2015

दिनांक: 18 JUN 2015

प्रति,

1/ प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या / अधिष्ठाता / निदेशक,
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जिला–इन्दौर,धार,झाबुआ,खण्डवा,खरगोन,बड़वानी,बुरहानुपुर,अलीराजपुर।

2/ विभागाध्यक्ष,
समस्त अध्ययनशालाएँ,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,इन्दौर।

विषयः– प्रति माह "रैगिंग" सम्बन्धी जानकारी भेजने एवं रैगिंग रोकथाम करने हेतु यू.जी.सी. के नियमानुसार कार्यवाही करने बाबद।

महोदय / महोदया,

प्राप्त उपरोक्त संदर्भित पत्रों के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि यू.जी.सी. द्वारा रैगिंग की रोकथाम हेतु रेगूलेशन 2009 का प्रावधान किया गया है, इन रेगूलेशन का पूर्णतः अनुपालन आदेशात्मक है। देवी अहिल्याविश्वविद्यालय,इन्दौर से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों / अध्ययनशालाओं में रेगूलेशन 2009 के अनुसार विभिन्न "समितियॉ गठित कर एवं उक्त संबंध में किए गये प्रयासों से विश्वविद्यालय को दिनांक 20 जुलाई 2015 तक अनिवार्य रूप से अवगत करायें। (कृपया यू.जी.सी.की वेबसाईट www.ugc.ac.in का अवलोकन करें)

2/ निम्नांकित समयावधि में आपको अपने महाविद्यालय / अध्ययनशाला की रैगिंग संबंधी जानकारी संलग्न प्रारूप में (प्रति माह) विश्वविद्यालय को भेजना आवश्यक है, मासिक रिपोर्ट **dsw.davv@ dauniv.ac.in** पर ई.मेल द्वारा ही प्रेषित करें।

| अनु क्रमांक | समयावधि | मासिक रिपोर्ट विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की अंतिम तिथि। |
|---|---|---|
| 1. | दिनांक: 01.07 .2015 से दि.31.07.15 तक | दिनांक 5.8.15 तक |
| 1. | दिनांक: 01.08 .2015 से दि.31.08.15 तक | दिनांक 5.9.15 तक |
| 2. | दिनांक: 01.09.2015से दि.30.09.15 तक | दिनांक 5.10.15 तक |
| 3. | दिनांक: 01.10. 2015से दि.31.10.15 तक | दिनांक 5.11.15 तक |
| 4. | दिनांक: 01.11. 2015से दि.30.11.15 तक | दिनांक 5.12.15 तक |
| 5. | दिनांक: 01.12.2015 से दि.31.12.15 तक | दिनांक 5.01.16 तक |
| 6. | दिनांक: 01.01.2016 से दि.31.01.16 तक | दिनांक 5.02.16 तक |
| 7. | दिनांक: 01.02.2016 से दि.28.02.16 तक | दिनांक 5.03.16 तक |
| 8. | दिनांक: 01.03.2016 से दि.31.03.16 तक | दिनांक 5.04.16 तक |
| 9. | दिनांक: 01.04.2016 से दि.30.04.16 तक | दिनांक 5.05.16 तक |
| 11. | दिनांक:01.06.2016से दि.31.06.16तक | दिनांक 5.07.16 तक |

3/ यू.जी.सी से प्राप्त उक्त संर्दभित पत्रानुसार निर्देशित किया जाता है कि सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय / अध्ययनशाला में प्रत्येक विद्यार्थी से यू.जी.सी. की वेबसाईट पर उपलब्ध शपथ पत्र ऑनलाईन दर्ज करायें एवं इसकी जानकारी यू.जी.सी. / विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

उपरोक्तानुसार समय सीमा में रैगिंग रोकथाम हेतु यदि कार्यवाही नहीं की जाती है, तो यह एक गंभीर लापरवाही का कृत्य होगा तथा ऐसी स्थिति में यू.जी.सी. विनियम के पेरा क्रं.9.4 के तहत संस्था के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

आदेशानुसार

(डॉ.दीपक मेहता)
अधिष्ठाता,छात्रकल्याणविभाग

सिया / लटर / सिया